चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 16.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 16.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(क). वरि0उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना मानिकपुर तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 16/2024 धारा 452,323,504,506 भादवि के वांछित अभियुक्त राजेश कुमार द्विवेदी पुत्र शिवसागर निवासी बाल्मीकी नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. वरि0उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना मानिकपुर
2. आरक्षी धीरेन्द्र किशोर

3. आरक्षी लोकेन्द्र सिंह

(ख). चौकी प्रभारी गनीवा श्री राजोल नागर तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 128/2023 धारा 419,420,467,468,471,128बी भादवि के वांछित अभियुक्त रामलखन पुत्र माताबदल निवासी तौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी गनीवा श्री राजोल नागर
2. आरक्षी शैलेन्द्र सिंह
3. आरक्षी शिवम मिश्रा

(4). आज दिनाँक 16.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा कर्मचारीगण का टर्न आउट चैक किया गया तथा परेड ग्राउण्ड में उपस्थित सभी टोलियों की ड्रिल देखी गयी एवं आवश्यक सुधार हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया। तत्पश्चात महोदय द्वारा आदेश-कक्ष में जाकर कर्मचारीगण को अर्दली रुम किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन्स/कार्यालय/ट्राफिक श्री राज कमल, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). सर्वसम्बन्धित को सूचना किया जाता है कि दिनाँक 17.02.2024 एवं 18.02.2024 को आयोजित होने वाली उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के कारण जनपद में आज दिनाँक 16.02.2024 की सायंकाल 06 बजे से दिनाँक 18.02.2024 तक सभी प्रकार के खनिज पदार्थों का परिवहन कर रहे वाहनों का आवागमन सम्पूर्ण जनपद में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

(6). आज दिनाँक 16.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिनाँक 17.02.2024 एवं 18.02.2024 को आयोजित होने वाली उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के परीक्षा केन्द्र त्यागी इण्टर कालेज ऐंचवारा, राजकीय महाविद्यालय मानिकपुर एवं कृषक इण्टर कालेज भौंरी का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा परीक्षा केन्द्र में सीसीटीवी कैमरा, बैठने की व्यवस्था, गेट पर आने-जाने की व्यवस्था, सामान रखवाने आदि व्यवस्थाओं को जायजा लेकर सुधार हेतु आवश्यक को आवश्यक सुधार हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

(7). आज दिनाँक 16.02.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनन्द एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिनाँक 17.02.2024 एवं 18.02.2024 को आयोजित होने वाली उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के परीक्षा केन्द्र सेठ राधाकृष्ण पोद्दार इण्टर कालेज सीतापुर, शिवाजी इण्टर कालेज चितरा गोकुलपुर, जगतगुरु रामभद्रा चार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय सीतापुर, कालका देवी इण्टर कालेज पुरवा तरौंहा, ज्ञान भारती इण्टर कालेज कर्वी, पालेश्वर नाथ इण्टर कालेज पहाड़ी, जयराम राही इण्टर कालेज नई दुनिया कर्वी का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा परीक्षा केन्द्र में सीसीटीवी कैमरा, बैठने की व्यवस्था, गेट पर आने-जाने की व्यवस्था, सामान रखवाने आदि व्यवस्थाओं का जायजा लेकर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल, पैरोकार अशोक कुमार यादव एवं मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0162/2019 धारा 302 भादवि के आरोपी अभियुक्त प्रेमचन्द्र आरख पुत्र जगतपाल निवासी इटौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरणः-</u>

दिनाँक 09.02.2019 को वादी श्री भगवानदीन आरख पुत्र असवा आरख निवासी इटौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना पहाड़ी में सूचना दी थी कि उनके भाई रामदास आरख जो कि खेत की रखवाली करने गये थे की गला रेत कर हत्या कर दी है, उनके भाई रामदास अपने हिस्से की 08 बीघा जमीन अपने रामचंद्र, सुरेश चंद्र और महेश को देने वाले थे, इसी से क्षुब्ध होकर प्रेमचन्द्र उपरोक्त ने अपने मौसेरे भाई लालचन्द्र के साथ मिलकर मेरे भाई रामदास की हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 162/2019 धारा 302 भादवि बनाम प्रेमचन्द्र उपरोक्त एवं लालचन्द्र पुत्र वंशगोपाल निवासी चन्द्रगहना थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालनी प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री जयशंकर सिंह द्वारा की विवेचना की गयी एवं विवेचना से नामजद लालचन्द्र उपरोक्त की नामजदगी गलत पायी गयी तथा दिनाँक 04.09.2019 को आरोपी प्रेमचन्द्र उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया व दिनाँक 31.10.2019 को उसके के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(9). आज दिनाँक 16.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स स्थित कान्हा प्रेक्षागार में दिनाँक 17.02.2024 व 18.02.2024 को होने वाली उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा डियूटी में पुलिस बल को ब्रीफ किया गया। उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा डियूटी में लगे हुये समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण तय समय से डियूटी स्थल पर पहुंचकर अपनी डियूटी का निर्वहन करेंगें। चैकिंग व फ्रिक्सिंग में लगा पुलिस बल शालीनता के साथ गहनता से प्रत्येक अभ्यर्थी की तलाशी करेगा व प्रतिबंधित वस्तुओं को किसी भी स्थिति में परीक्षा केन्द्र के अन्दर नहीं जाने देगा। सभी परीक्षा केन्द्र के गेट परीक्षा शुरु होने के 10 मिनट पूर्व ही बंद कर दिया जायेंगें।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान श्री अनुज कुमार मिश्र, क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह, क्षेत्राधिकारी कार्यालय/यातायात श्री राज कमल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पांडेय एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश/एफटूसी न्यू श्री सुशील कुमार वर्मा थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 128/2015 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त प्रेम पासी पुत्रगण लखपत पासी निवासीगण देशाह मजरा गौरिया थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का विवरणः-</u>

दिनाँक 08.07.2015 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री शैल कुमार सिंह द्वारा थाना रैपुरा प्रेमपासी उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 128/2015 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री मनीष जाट द्वारा की गयी, विवेचक द्वारा दिनाँक 23.11.2016 को आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(11). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपहतों एवं गुमशुदा की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश कुमार मौर्य के मार्गदर्शन में थाना बरगढ़ पुलिस ने घर से नाराज होकर गयी बच्ची को सकुशल बरामद पर परिजनों के सुपुर्द किया।

उल्लेखनीय है आज दिनांक 16.02.2024 को कुमारी ज्योति सेन पुत्री देवनारायण सिंह उम्र करीब - 14 वर्ष निवासी ग्राम-सेमरा, थाना-बरगढ़ ,जनपद चित्रकूट अपने घर से पिता के डांटने पर नाराज होकर रेलवे स्टेशन बरगढ़ की तरफ चली आयी थी। अनहोनी के दृष्टिगति प्लेट फार्म ड्यूटी पर लगे पुलिस बल द्वारा समझा बुझाकर ज्योति सेन उपरोक्त को थाना परिसर लाया गया जहाँ पर महिला हेल्पडेस्क पर म0का0 समीक्षा यादव के देखरेख में महिला हेल्पडेस्क पर बैठाया गया तथा ग्राम प्रधान सेमरा से जरिये दूरभाष परिजन को सूचित किया गया ।पिता देवनारायण सेन पुत्र स्व0 ननकू सेन अपनी पत्नी श्रीमती सविता देवी मय ग्राम

प्रधान व अन्य तीन चार लोग थाना आये माता-पिता को सुपुर्द किया गया। बच्ची को पाकर परिजनों के चेहरे की मुस्कान वापस आयी।

बरामद एवं सुपुर्दगी करने वाली टीम का विवरण –

1.आरक्षी शिवम राजपूत थाना बरगढ़

2.महिला आरक्षी समीक्षा यादव